







PROP. GROUND FLOOR PLAN



PROPOSED ROW HOUSE PLAN OF PLOT NO. 24 TO 53 FOR GURU NAGAR EXT.

AT - SURVEY NO.37/2 KASSA DEWAS JUNIOR DIST. DEWAS  
B/TD - M/S BHOMIYAJI LAND & FINNCE COMPANY

123 TUKDGANG NAYA PURA DEWAS M.P.

PLOT NO. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

46, 47, APPENDIX 51, 52, 53,

As per Condition No

14 X 3 X 12 / 07

Permission No. 12/13

Date 19/5/07

18/6/07

11/7/07

12/7/07

13/7/07

14/7/07

15/7/07

16/7/07

17/7/07

18/7/07

19/7/07

20/7/07

21/7/07

22/7/07

23/7/07

24/7/07


25/7/07

26/7/07

*Signature*  
उपर्युक्त निम्न  
दावर पालक दिग्द  
देवस (म० १०)

*Signature*  
उपर्युक्त निम्न  
दावर पालक दिग्द  
देवस (म० १०)

	OPEN BY. R. SHARMA	SCALE 1:200
कर्म म. शोभियाजी लेन्ड एण्ड फायरेंस के प्रति P.K.A.		



*m&fms*

PLOT AREA = 4.00X15.00 = 60.00SQM

PROPO. G.F. B/UP AREA = 10.50X4.00 = 42.00SQM.

PROPO. F.F. B/UP AREA = 10.50X4.00 = 42.00SQM.

DIMENSIONS

# कार्यालय नगर पालिक निगम, देवास (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक...../लो नि.वि./200  
14x3x12x/07

अनुज्ञा क्रमांक १२१२  
दिनांक १९/६/०७



नाम मर्सस भोमिया जी लेण्ड एण्ड फैसलन्स क. १० श्री प्रेमकुमार सत्यनारायण अग्रवाल,  
२० श्री केलाप्रकुमार इंद्रभल जैन, देवास।

विषय कस्बा देवास जुनियर की भूमि सर्वे क्र. ३७/२ रक्का ०.७८। है. ₹७८१०.०० व.मी. १  
गौरव नगर स्कॉर्टेंस के प्लाट क्र. १ से ५३ तक मानचित्र अनुसार निर्माण कार्य बाबद।

उक्त विषय में आपका प्रार्थना-पत्र दिनांक २३.२.०७ का प्राप्त  
होने पर से श्री आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक ११.६.०७ के अनुसार

आपके आवेदन सर्व मानचित्र अनुसार आपको निष्पादित अनुबंध दिनांक १४.६.०७  
की शहरों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शहरों पर उपरोक्त सर्वे नं. के प्लाटों पर भूत्तल सर्व  
पृथग्मतल के आवासीय निर्माण कार्य की अनुमति रो-हाउसेस अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

१. यह कि सर्वे प्रथम आपको प्लाट नं. १ से ३४ तथा ४९ से ५३ तक के भवनों का निर्माण  
कार्य संलग्न मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. सामने से ३.००मी. पिछे से १.५०मी. छोड़कर करना  
होगा। तथा प्रत्येक भूखण्ड के सामने छायादार दो-दो कृद्धा लगाने अनिवार्य होंगे।

२. कालोनी पैटे पच्चीस प्रतिशत भूखण्ड क्र. ३५ से ४८ कुल १४ भवनों का निर्माण कार्य  
विकास कार्य कालोनी में होने तथा नगर निगम में उक्त प्लाट जो माडिगेज रखे गये हैं छुक्त  
किये जाने के पश्चात संलग्न मानचित्र अनुसार उपरोक्तानुसार एम.ओ.एस. छोड़कर करना होगा  
तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही करें।

३. एफ.ए.आर. १०.२५ से अधिक मान्य नहीं होगा। निर्माण कार्य की अनुज्ञा तीन वर्ष  
तक प्रभावशील रहेगी। निर्मित है ३२.३९ प्रतिशत से अधिक मान्य नहीं होगा।

४. कि उपरोक्त शहरों सर्वे पिछे अंकित नौट क्र. १ से ११ का पालन करना होगा अपालन  
की दशा में दी गई अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

५. कालोनी विकास अनुमति सर्व रो-हाउसेस अन्तर्गत अनुबंध दि. १४.६.०७ को आपके  
द्वारा निष्पादित किया गया है उसकी शहर क्र. १ से ४२ का पालन आपके द्वारा किया जावेगा  
अपालन की दशा में दी गई अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।  
संलग्न:- मानचित्र। सर्व हार्डस्टीग प्रपत्र।

आर.एस./-

वास्तव आयुक्त,  
नगर पालिक निगम  
देवास (म० म०)

## प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम, देवास।
2. जल कार्य निरीक्षक नगर पालिक निगम, देवास।
3. सम्पांतिकर अधिकारी नगर पालिक निगम, देवास।
- नोट 1. निर्माण कार्य आपके स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर रखीकृत प्लान अनुसार ही किया जावे अन्य किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावे।
2. नगर पालिक निगम की भूमि पर बिना अनुमति मत्रियल नहीं डाला जावे।
3. इस अनुज्ञा-पत्र की अवधि जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष की है।
4. निर्माण कार्ट प्रारम्भ, लीन्थ तक पूर्ण एवं निर्माण समाप्ति की सूचना के इस कार्यालय को अवगत करना होगा।
5. टैंक अपनी हद मे रख्याफर सेफटी टैंक प्रयाना अनिवार्य रूप से ही रखीकृत प्लान अनुसार निर्माण करें।
6. किसी भी प्रकार की भूमि स्वत्व एवं दस्तावेज सेवार्थ विवाद उत्पन्न होने की दशा मे दी गई अनुज्ञा-पत्र स्वतः निरत समझी जावेगी।
7. गंडे पानी की निकासी की त्वरणस्था स्वयं को करनी होगी।
8. निर्माण की दूसी विधुत लाइन से खड़े रूप मे 2.5 मीटर एवं आडे रूप मे 1.2 मीटर की दूसी बानाकर निर्माण कार्य करना होगा।
9. भू-जल संवर्द्धन हेतु रुफ हर्विसिंग प्रदति अपनाई जाना आवश्यक है अपलन की स्थिति मे दी गई अनुज्ञा रखतः निरत समझी जावेगी।
10. म.प्र. भूमि विकास अधिनियम 1984 के समान्तर शर्तों एवं उपवंशों का पालने करें।
11. भूकम्पशी प्रावधान हेतु आय. एस. कोड 1983, 1996, 13920-1993, 13827-1993, 13935-1993 के प्रावधानों अनुरूप तथा सलंग रस्तरल, इंडिग एवं डिजाइन अनुसार अकिटेक्ट से निर्माण कार्य करवाने की जवाबदारी आपकी रहेगी।

नगर पालिक निगम  
(१०२८) दावास

प्राप्ति आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
दावास (१०२८)

प्रतिलिपि

विवरण

### प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम, देवास।
  2. जल कार्य निरीक्षक नगर पालिक निगम, देवास।
  3. सम्पर्तिकर अधिकारी नगर पालिक निगम, देवास।
- नोट**
1. निर्माण कार्य आपके स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर स्वीकृत प्लान अनुसार ही किया जावे अन्य किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावे।
  2. नगर पालिक निगम की भूमि पर बिना अनुमति मटेरियल नहीं डाला जावे।
  3. इस अनुज्ञा-पत्र की अवधि जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष की है।
  4. निर्माण कार्य प्रारम्भ, प्लान्थ तक पूर्ण एवं निर्माण समाप्ति की सूचना के इस कार्यालय को अवगत करना होगा।
  5. टैंक अपनी हड मे रखकर सेफटी टैंक पर्खाना अनिवार्य रूप से ही स्वीकृत प्लान अनुसार निर्माण करें।
  6. किसी भी प्रकार की भूमि स्वत्व एवं दस्तावेज सेवार्थ विवाद उत्पन्न होने की दशा में दी गई अनुज्ञा-पत्र स्वतः निरस्त समझी जावेगी।
  7. गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।
  8. निर्माण की दूरी विद्युत लाईन से खड़े रूप मे 2.5 मीटर एवं आड़े रूप मे 1.2 मीटर की दूरी बनाकर निर्माण कार्य करना होगा।
  9. भू-जल संवर्द्धन हेतु रुफ हर्विस्टिंग पद्धति अपनाई जाना आवश्यक है अपालन की स्थिति में दी गई अनुज्ञा-रखतः निरस्त समझी जावेगी।
  10. म.प्र. भूमि विकास अधिनियम 1984 के समर्त शर्तों एवं उपबंद्धो का पालन करे।
  11. भूकम्परोधी प्रावधान हेतु आय. एस. कोड 1983, 1996, 13920-1993, 13827-1993, 13935-1993 के प्रावधानों अनुरूप तथा संलग्न स्ट्रचरल, ड्राईग एवं डिजाइन अनुसार अंकिटेक्ट से निर्माण कार्य करवाने की जवाबदारी आपकी रहेगी।

मानसी राजीव शर्मा  
(५२ वी) शास्त्री

MSBMS

वास्ती आयुक्त,  
वर पालिक निगम  
शास्त्री (म० प्र०)